कार्यालयः— जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—I (राज.)

क्रमांकः—लेखा / 2023—24 / 2901 दिनांकः— 19/7/23

निविदा सूचना

बनीपार्क स्थित जिला न्यायालय, जयपुर महानगर—I के परिसर में गेट न. 1 से 4 तक की सडक के दायीं ओर स्थित भवन एवं सम्पूर्ण परिसर (कार्यालय एवं चेम्बर्स के टॉयलेट्स सहित) के सफाई ठेका कार्य वर्ष 2023—2024 (कुल 8 माह) की शेष अवधि के लिए अनुमानित लागत रूपये 06.40 लाख के लिए दर संविदा सम्पादित करने हेतु पंजीकृत फर्मो / ठेकेदारों / संस्थाओं से निविदा दरें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र एवं दर संविदा की शर्ते दिनांक 27.07.2023 को अपरान्ह् 01.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस को रू. 500 / — का नकद भुगतान कर रोकड शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं। भरी हुई सील बंद निविदायें इसी दिन अपरान्ह् 03.00 बजे तक जमा की जा सकेंगी जो दिनांक 27.07.2023 को ही अपराह्न 04.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा के साथ दो प्रतिशत अमानत राशि रूपये 12,800 / — का बैंक ड्राफ्ट **जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—प्रथम** के पक्ष में देय, पेश करना होगा। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते राज्य सरकार की वेब साईट **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अध्यक्ष
सफाई ठेका कार्य निविदा समिति
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
क्रम 01, जयपुर महानगर—I)

2199
-19.7.23

(निविदा का प्रारूप)

निविदा शुल्क रु– 500/–
(वापसी योग्य नहीं)

कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो

1 कार्य का नाम :– **जिला न्यायालय परिसर जयपुर महानगर–I में गेट न. 1 से 4 की सडक के दायीं ओर स्थित भवन एवं सम्पूर्ण परिसर (कार्यालय एवं चेंबर्स के टॉयलेट्स सहित) का सफाई व्यवस्था कार्य वर्ष 2023–2024 (कुल 8 माह) की शेष अवधि के लिए**

2 निविदा कमांकः .... दिनांक ....

3 निविदा की अनुमानित लागत रू. 06.40 लाख वार्षिक

4 भरी हुई निविदा प्राप्ति तिथि व समय दि. 27.07.2023 (3.00 पीएम)

5 निविदा खोलने की तिथि व समय दि. 27.07.2023 (04.30 पी.एम)

6 नाम आवेदक (ठेकेदार)/फर्म ....

7 पुत्र श्री ....

8 जाति .... निवासी ....
....
फोन नम्बर.. मोबाईल नम्बर ....

9 वर्तमान पूर्ण पता ....
....

10 अनुभव ....

11 पैन नम्बर ....

12 सामग्री सहित प्रतिमाह ठेका राशि (अंको में) रू. ....
शब्दों में रूपये.. (समस्त कर सहित)

13 रजिस्ट्रेशन का विवरण ....

14 अमानता राशि 12,800/– (शब्दों में) रूपये बारह हजार आठ सौ मात्र
बैंक ड्राफ्ट नं. .... दिनांक .... बैंक का नाम ....

15 जी.एस.टी. नंबर .... जारी की दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं
पूरा नाम मय फर्म की सील

घोषणा–पत्र

मैं, ... पुत्र श्री .... जाति .... निवासी (स्थाई पता) .... वर्तमान पता .... यह घोषणा करता हूँ कि मैंने जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर–प्रथम के वर्ष 2023–2024 (कुल 8 माह) की शेष अवधि के लिए दिये जाने वाले सफाई ठेके की सम्पूर्ण शर्तो (01 लगायत 59) को पूरी तरह पढ लिया है। मैं उक्त ठेके की सम्पूर्ण शर्तों से पूरी तरह सहमत हूँ। यदि उक्त ठेका मेरे नाम से राशि रू. ....शब्दों में.................................... प्रतिमाह (जीएसटी, श्रम एवं सामग्री सहित) की दर पर छोडा जाता है तो मैं उक्त दरों पर सम्पूर्ण शर्तो के साथ पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ कार्य करने को सहमत हूँ।

(प्रोपाईटर/आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)
मय सील

21092 19.7.23

"एनेक्चर–ए"

कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

जिला न्यायालय परिसर जयपुर महानगर प्रथम में गेट न. 1 से 4 की सडक के दायीं ओर स्थित भवन एवं सम्पूर्ण परिसर इत्यादि का सफाई ठेका वर्ष 2023–2024 (कुल 8माह) की शेष अवधि की निविदा एवं कार्य की शर्ते तथा उपबंध

1 अनुमोदित ठेकेदार द्वारा बनीपार्क स्थित जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–I मे गेट न. 1 से गेट न 4 की सडक के दायी ओर स्थित सम्पूर्ण परिसर व परिसर मे स्थित पुराना भवन (समस्त पार्किंग, लिफट्स छतों सहित) सफाई का कार्य करना होगा। कॉरीडोरो, गलियारो मे न्यायालय समय प्रारंभ होने के दो घंटे पूर्व व न्यायालय समय समाप्त होने से दो घंटे पूर्व (दिन मे दो बार) गीला फिर सूखा पोंछा लगाना होगा व सफाई कार्य मे उचित मात्रा मे फिनाईल, साबुन के पानी का घोल आदि का उपयोग करना होगा।

2 जिला न्यायालय के उपरोक्तानुसार परिसर मे स्थित भवन, सभी पार्किंग, रोड, कार्यालयों व चेम्बर्स के टॉयलेटस, कॉरीडोर्स, पोर्च व सम्पूर्ण परिसर की सफाई न्यायालय समय प्रारंभ होने के एक घण्टे पूर्व तक नियमित रूप से की जानी होगी व नियमित रूप से फिनिट का स्प्रे कार्य करना होगा।

3 इस परिसर मे स्थित सभी न्यायालयों के चैम्बर्स एवं शाखाओं में स्थित शौचालयों एवं बाथरुमों की सफाई एवं धुलाई का कार्य प्रतिदिन करना होगा। शौचालयों एवं बाथरुमों की सफाई एवं धुलाई साबुन के पानी एवं फिनाईल के उपयोग से करनी होगी। शौचालयों / बाथरुम में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग एवं समय समय पर एसिड से सफाई तथा सफाई पाउडर जैसे विम, सर्फ आदि का प्रयोग भी करना होगा।

4 भवन की समस्त सीढियों, पोर्च एवं भवन में स्थित रैलिंग्स की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी।

5 भवन के समस्त पोर्च, खिडकियों के शीशे, खिडकियों के बेस, अन्य समस्त दरवाजों एवं खिडकियों की सफाई एवं डस्टिंग प्रत्येक माह मे दो बार करनी होगी। यह सफाई कार्य कार्यालय समय में ही करने होगें।

6 उक्त न्यायालय भवन की छत की सफाई का कार्य भी सप्ताह में दो बार करना होगा।

7 भवन मे रखी गई टॉयलेटस की पानी की टंकियों की सफाई निर्देशानुसार अवश्य करनी होगी।

8 समस्त तलों पर स्थित थूकदान एवं पीकदान की सफाई एवं उसमें साफ मिट्टी अथवा राख का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।

9 भवन के समस्त तलों पर स्थापित नोटिस बोर्ड एवं चार्टो की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी।

10 समस्त तलों व परिसर की सफाई करने के पश्चात कूडा–करकट एवं कचरे को दिन में तीन बार उचित स्थान पर परिसर से बाहर नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी।

11 परिसर में जिन अवकाशागारों एवं कमरों में कारपेट लगे है, उनकी नियमित सफाई वैक्यूम क्लिनर से करनी होगी।

12 परिसर में खाली कच्ची भूमि पर जो भी जंगली घास हो, को समय समय पर हटाना होगा।

13 सफाई कर्मियों की यूनिफार्म नीलें रंग की होगी तथा यूनिफार्म की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।

14 न्यायालय में ठेकेदार द्वारा नियुक्त सुपरवाईजर का नाम और उसका मोबाईल नंबर उपलब्ध कराया जायेगा और उसके बदलने से पूर्व एक माह पहले सूचना दी जायेगी।

15 ठेकेदार अथवा उसका एक प्रतिनिधि / सुपरवाईजर न्यायालय समय से एक घण्टा पूर्व से न्यायालय समय समाप्त होने के एक घंटे बाद तक उपलब्ध रहेगा तथा उसकी उपस्थिति कोर्ट मेनेजर द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

16 परिसर में प्रत्येक तल के लिए सफाई कर्मी नीले रंग की यूनिफार्म में अपनी आई.डी. सहित न्यायालय समय आरम्भ से न्यायालय समाप्ति तक कोर्ट मेनेजर की देख–रेख में उपस्थित रहेगें तथा समय समय पर कमरों के सामने थूकदानो में फेंके गये कचरे को हटाते रहेगें। जो सफाई कर्मचारी टॉयलेट्स की सफाई करने जायेगा उसके द्वारा ठेकेदार द्वारा उपलब्ध परिचय पत्र भी रखा जायेगा। सफाईकर्मियों की उपस्थिति के सम्बंध में कोर्ट मेनेजर द्वारा उपस्थिति रजिस्टर का संधारण किया जाएगा।

17 श्रम नियमों के अनुसार सफाईकर्मी की कार्य दशाए निर्धारित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।

18 राजकीय अवकाशों एवं आकस्मिक आवश्यकताओं के दिनों में निविदादाता को सफाईकर्मी उपलब्ध कराने होगें तथा अवकाशों के दिनों में भी समस्त परिसर की सफाई नियमित रूप से करनी होगी।

19 सफाईकर्मी अपनी उपस्थिति प्रातः 10:00 बजे तथा ग्रीष्मकालीन समय में प्रातः 7:30 बजे जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के समक्ष दर्ज करायेगे। उपस्थिति बायोमेट्रीक मशीन द्वारा भी की जा सकेगी, ठेकेदार द्वारा मशीन उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यालय समय में उपस्थिति के आधार पर बिल का भुगतान किया जावेगा।

20 सफाई के काम में आने वाली समस्त सामग्री अच्छी किस्म की होनी आवश्यक है। जिसका निर्धारण प्रभारी अधिकारी सफाई व्यवस्था द्वारा किया जायेगा।

21 निविदा में ठेके की दरें सामग्री सहित उल्लेखित करनी है।

22 सफाई सामग्री में अगर किसी प्रकार की मिलावट या घटिया किस्म की पाई गई तो सामग्री जब्त कर ठेके को रदद करने की कार्यवाही की जावेगी।

23 ठेकेदारो को जिनको पूर्व में राजकीय विभागों / कार्यालयों / अर्द्ध शासकीय कार्यालयों भवनो का व बहुमंजिला ए–क्लास भवनों मे सफाई कार्य का एक या अधिक वर्ष का उत्कृष्ट अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी इस हेतु अनुभव प्रमाण–पत्र जो कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया गया हो निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

24 उत्कृष्ट अनुभव के अभाव मे टेण्डर स्वीकृत करने / नही करने का अधिकार जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर को या उनके द्वारा प्राधिकृत समिति को होगा।

25 ठेकेदार सफाई के कार्य का ठेका किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को सबलेट नही कर सकेगा।

26 मकडी के जालों की सफाई, दीवारों पर सीलन की पपडी आदि की सफाई भी नियमित रूप से करनी होगी।

२१०/१९.७.२३

27 वेब साईट से डाउनलोड की गयी निविदा का शुल्क रूपये 500/- का डी.डी/बैंकर्स चैक अलग से कार्यालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के नाम का अलग से जमा कराया जायेगा ।

28 टॉयलेटस एवं बाथरूमों का सामान सफाई करने से पहले सफाईकर्मी को सही रूप से संभलाया जायेगा। सफाई के दौरान यदि किसी प्रकार की टूट-फूट होगी तो उसकी दुरूस्तगी व मरम्मत ठेकेदार द्वारा अतिशीघ्र करवाई जावेगी। यदि किसी कारण से ठेकेदार असमर्थ रहता है तो टूट फूट ठीक कराई जाकर खर्चा ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।

29 ठेकेदार को प्रतिभूति के रूप में कुल ठेका राशि की पांच प्रतिशत राशि इस कार्यालय मे जमा करवानी होगी तथा धरोहर राशि प्रतिभूति राशि से सम्मिलित कर ली जावेगी। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर एक माह मे लौटा दी जायेगी। यदि ठेके की शर्तो मे उल्लघंन पाया गया तो विभाग को पांच सौ रूपये प्रतिदिन की राशि काटने का अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर प्रतिभूति राशि में से भी वसूली की जा सकेगी। यदि बार बार निर्देशों के बावजूद भी स्थिति संतोषजनक नही रहती है तो विभाग को ठेका निरस्त करने का अधिकार होगा।

30 सभी नियमित सफाईकर्मी प्रतिदिन कोर्ट मेनेजर के रूम के बाहर गार्डन में हाजिरी हेतु नियत समय पर उपस्थित होंगे।

31 संविदा संपन्न होने के पश्चात संविदा अवधि के दौरान यदि यह जानकारी में आता है कि सफल निविदादाता को पूर्व मे किसी अन्य विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है तो ऐसी स्थिति में उक्त जानकारी तक संविदाकार (ठेकेदार) द्वारा अर्जित एवं जमा समस्त हित लाभ जब्त-ए-सरकार कर लिये जावेगे तथा संविदा निर्धारित अवधि से पूर्व ही रदद की जा सकेगी इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

32 सफाई की व्यवस्था के लिए जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिये गये आदेशो व ठेके की शर्तो की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को कार्य करना होगा।

33 ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम का निर्णय अंतिम होगा।

34 ठेके की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना नोटिस दिये ठेका निरस्त भी किया जा सकेगा।

35 सफाई कार्य हेतु ठेका अवधि वर्ष 2023-24 (कुल 8 माह) की शेष अवधि की होगी।

36 यदि ठेकेदार द्वारा नियमित रूप से शर्तो के अनुसार सफाई नहीं की जाती है या स्वेच्छा से ठेकेदार काम नहीं करता है या ठेकेदार द्वारा किये गये सफाई कार्य के संतोषजनक न होने की दशा में यदि उसके नाम से ठेका निरस्त किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम फर्म को ठेका दिया जाकर प्रथम ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त सरकार कर ली जायेगी।

37 ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि (earnest money) के रूप में ठेके की अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफट जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर के पक्ष में निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।

38 ठेका स्वीकृत हो जाने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अनुवंध पत्र निष्पादित करना होगा, जो ठेके की अवधि में वैध होगा।

39 बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

40 निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर में निहित रहेगा।

41 ठेके को कभी भी रदद करने का अधिकार जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर नगर, जयपुर में निहित रहेगा तथा न्यूनतम दरें स्वीकार करना अनिवार्य नही हैं। निविदादाता फर्म के अनुभव एवं गुणावगुण का भी ध्यान रखा जावेगा।

42 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार सफल निविदादाता द्वारा निविदा की राशि का पांच प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में जमा करानी होगी। अनुमानित लागत से कम की निविदाओ के लिए अन्तर राशि के बराबर राशि तक प्रतिभूति राशि को ओर बढाया जा सकता है।

43 किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियॉ ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पडे तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी अन्य स्थानों पर नहीं।

44 निविदायें सील बंद लिफाफे में अध्यक्ष, सफाई कार्य निविदा समिति एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कम-01, जयपुर महानगर-प्रथम के समक्ष दिनांक 27.07.2023 को 03:00 पी0एम0 तक ही पेश की जा सकेगी तथा निविदायें दिनांक 27.07.2023 को अपराह्न 04:30 पी0एम0. पर खोली जावेगी। उस समय समस्त निविदादाताओं का उपस्थित रहना अपेक्षित है।

45 पेश किये जाने वाले निविदा में यह भी अंकित किया जाये कि उपरोक्त निविदा से संबंधित उपबंध एवं शर्तो को पढ लिया गया है और सभी उपबंध / शर्ते स्वीकार्य है तथा जिला न्यायालय परिसर व इसमें स्थित भवनों की सफाई कार्य (दिये गए विवरण के अनुसार) सामग्री सहित निविदा के संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत की जाऐ।

46 उपरोक्त सफाई कार्य हेतु कुल 25 पार्टटाईम सफाई कर्मियों की प्रतिदिन व्यवस्था करनी होगी। जिनमें से सफाई कार्यो हेतु न्यायालय समय के दौरान 5 सफाईकर्मी पूरे समय उपलब्ध कराने होंगे। सेवा प्रदाता फर्म द्वारा 20 सफाई कर्मचारी सुबह तथा 5 सफाई कर्मचारी शाम के समय लाकर न्यायालय में सफाई करवायी जायेगी। निर्धारित संख्या से जितने कर्मचारी कम आयेगे उसी के अनुपात में सफाई ठेकेदार के पैसे प्रतिमाह काटे जायेंगे। प्रत्येक तल पर दो सफाई कर्मचारियो से टायलेट की सफाई कोर्ट मेनेजर के निर्देशानुसार करवायी जायेगी। कार्य का वितरण कोर्ट मेनेजर द्वारा किया जायेगा।

47 सेवा प्रदाता फर्म को लिखित में अपने नियुक्त सफाईकर्मी का नाम एवं मोबाइल न. कोर्ट मेनेजर को उपलब्ध कराने होंगे तथा किसी सफाईकर्मी को बदलने की स्थिति में नाम एवं मोबाइल न0 की अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करानी होगी।

48 ठेकेदार द्वारा न्यायालय परिसर का कचरा उठाने के लिए न्यायालय के कचरापात्र (Dustbin) काम मे नही लिए जाऐंगे। उसे अपना स्वय के संसाधन /ट्रोली आदि काम मे लेनी होगी। न्यायालय के डस्टबिनो को नुकसान पहुचाने पर नुकसान की वसूली ठेकेदार से की जायेगी। डस्टबिन से कचरा ट्रोली मे डालकर डंपिग स्टेशन तक ले जाया जायेगा। डस्टबिन को नही घसीटा जायेगा।

49 बरामदो कोरीडोर्स इत्यादि की सफाई उपरान्त पोंचा मशीन द्वारा एक दिन छोडकर एक दिन नियमित रूप से पोंचा लगाया जायेगा।

50 कॉरपेट, कोनो तथा खिडकियो आदि की सफाई के लिऐ वेक्यूम क्लीनर का उपयोग किया जायेगा।

51 मैन बिल्डिंग की सीवरेज लाईन चौक होने पर इनको ठेकेदार के स्तर से क्लीयर कराया जायेगा।

2 म्र 19.7.23

52 सफाई कार्य में चूक / कमी पाये जाने एवं निर्धारित संख्यां में सफाईकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करने पर प्रभारी अधिकारी (सफाई व्यवस्था) के स्तर से प्रथम नोटिस पर मासिक भुगतान की 2.5 प्रतिशत अगले नोटिस पर 5 प्रतिशत तथा उसके पश्चात नोटिस पर 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी। इसके उपरान्त भी सफाई कार्य में सुधार नहीं होने पर अनुबन्ध निरस्त हेतु कार्यवाही की जा सकती है। जारी प्रत्येक नोटिस की एक प्रति उक्त कटौती हेतु प्रभारी अधिकारी (लेखा) को भी भिजवायी जायेगी।

53 छज्जे रोड (फाइबर शीट) प्याऊ आदि की सफाई सप्ताह में एक बार आवश्यक रूप से करनी होगी।

54 सफाई कर्मचारी 10:00 ए.एम से 5:00 पी.एम. के न्यायालय समय मे सफाई हेतु प्रातः 7:00 ए.एम. पर उपस्थित होंगे तथा शाम को 4:00 पी.एम. पर उपस्थित होंगे तथा 7:30 ए.एम. से 1:00 पी.एम. के न्यायालय समय मे प्रातः 5:30 ए.एम. तथा दिन मे 1:00 पी.एम. पर उपस्थित होकर कार्य करेंगे।

55 ठेका प्रारंभ होने से पूर्व चयनित ठेकदार / फर्म द्वारा सफाई व्यवस्था के लिये इस्तेमाल में आने वाली सफाई मशीन या सभी सफाई सामान का नियुक्ति अधिकारी / कर्मचारी को अवलोकन कराना होगा।

56 उपस्थिति हेतु सफाईकर्मियों को उपस्थित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की होगी।

57 ठेकेदार द्वारा बीच अवधि में ही सफाई कार्य बंद कर देने पर आकस्मिक व्यवस्था के बतौर अथवा आगामी व्यवस्था स्थापित करने पर सफाई कार्य ठेकेदार की रिस्क एण्ड कोस्ट पर करवाया जाएगा, जिसके लिए स्वयं ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

58 उपस्थिति रजिस्टर का औचक निरीक्षण प्रभारी अधिकारी सफाई व्यवस्था द्वारा किया जाएगा तथा कोर्ट मेनेजर द्वारा भुगतान हेतु मासिक ब्यौरा प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

59 राजकीय अवकाशों पर विभागीय / राजकीय कान्फ्रेंस, मीटिंग व अन्य कार्यक्रमो पर चार सफाई कर्मचारी कार्यालय मे उपस्थित होकर सफाई कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार स्वंतत्रता एवं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या से ही माकूल सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(प्रोपाईटर / आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम)
मय सील